

समाहरणालय खूँटी
(राजस्व शाखा)

23

ज्ञापांक : 1073 / रा0

दिनांक : 11-10-17

सेवा में,

महालेखाकार,
हिनु, राँची।

विषय :- जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 78, रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या - 5504 / रा0 दिनांक 07.10.16 में निहित प्रावधान एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक - 274 / रा0 दिनांक 12.09.17 द्वारा भू-हस्तांतरण अभिलेख संख्या - 15 / 17-18 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 78, रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है -

1. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन एक वर्ष तक नहीं किए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर उक्त भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार को वापस हो जायेगी।
2. विषयगत हस्तांतरित भूमि किसी संस्था / कम्पनी / व्यक्ति / कॉरपोरेट सोसाईटी / निजी व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा लीज पर नहीं दी जाएगी।
3. अन्य सभी शर्तें खास महल मैनुएल में निहित प्रावधान एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

23.9.17
उपर जमाहरी

उपायुक्त,
खूँटी

ज्ञापांक : 1073 / रा0 दिनांक : 11-10-17

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.9.17
उपर जमाहरी

उपायुक्त,
खूँटी

समाहरणालय खूँटी
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक : 353/रा0

दिनांक : 18/4/18

सेवा में,

महालेखाकार,
हिनु, राँची।

विषय :- जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 78, रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या - 5504/रा0 दिनांक 07.10.16 में निहित प्रावधान एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक - 1588 दिनांक 16.03.18 के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक - 58/रा0 दिनांक 11.04.18 द्वारा भू-हस्तांतरण अभिलेख संख्या - 20/17-18 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 78, रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है -

1. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन एक वर्ष तक नहीं किए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर उक्त भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार को वापस हो जायेगी।
2. विषयगत हस्तांतरित भूमि किसी संस्था/कम्पनी/व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसाईटी/निजी व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा लीज पर नहीं दी जाएगी।
3. अन्य सभी शर्तें खास महल मैनुएल में निहित प्रावधान एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

ज्ञापांक 353/रा0 दिनांक 18/4/18
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
खूँटी

18/4/18

249

समाहरणालय खूँटी
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक : 504 (ii) / रा0

दिनांक : 30.05.17

सेवा में,

महालेखाकार,
हिनु, रॉंची।

विषय :- जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 96 एवं 78, रकबा क्रमशः 0.30 एवं 0.70 एकड़ कुल रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची के साथ निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉंची के संकल्प संख्या - 5504/रा0 दिनांक 07.10.16 में निहित प्रावधान एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक - 184/रा0 दिनांक 27.05.17 द्वारा भू-हस्तांतरण अभिलेख संख्या - 09/17-18 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला - खूँटी, अंचल - खूँटी, मौजा - जमुवादाग, थाना नं0 - 92, खाता नं0 - 32, प्लॉट - 96 एवं 78, रकबा क्रमशः 0.30 एवं 0.70 एकड़ कुल रकबा 1.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक-3 की स्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची के साथ निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है -


1. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन एक वर्ष तक नहीं किए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर उक्त भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार को वापस हो जायेगी।
2. विषयगत हस्तांतरित भूमि किसी संस्था/कम्पनी/व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसाईटी/निजी व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा लीज पर नहीं दी जाएगी।
3. अन्य सभी शर्तें खास महल मैनुएल में निहित प्रावधान एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होगी।


ज्ञापांक 504 (ii)

दिनांक 30.05.17

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/05/17


उपायुक्त,
खूँटी


उपायुक्त,
खूँटी